ग्राम पंचायत डीब, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला, के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत डीब, विकास खण्ड नारंकडा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जगजीत कुमार	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्रीमती अल्पना	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्र0सं	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष चन्द	01.04.2014 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत डीब के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5 (ख)	दिनांक 31.3.2017 को पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और सम्बन्धित बैंक खातों के अन्तिम शेष में अन्तर	0.34
2	6	पंचायत निधि की वसूली न करना	1.07
3	7	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीद जारी न करना	12.02
4	9	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, मस्ट्रोलों भुगतान हेतु की राशि का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	1.77

5	10	रोकड़ बही में लेखाकिंत प्राप्त आय के स्त्रोत, उद्देश्य इत्यादि के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध न होना	1.03
6	12	दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान का उपयोग न किया जाना	21.57
7	13	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय किया जाना	1.67
8	14	निर्माण कार्यों हेतु किए गए सामान की खपत न करना	0.10
9	15	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.97
10	16	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	3.48
11	17	वाउचरों की सत्यापित किए बिना ही अनियमित भुगतान करना	1.97

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत डीब, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.8.2017 से 18.8.2017 के दौरान ग्राम पंचायत डीब में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014—15	6/2014	8/2014
2015—16	3/2016	6/2015
2016—17	4/2016	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत डीब, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 520/2017 दिनांक 18.08.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डीब से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

सचिव, ग्राम पंचायत डीब द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA & Intergrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखाकिंत आय व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों का निर्माण नहीं किया गया। खाता बही न बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट–1"** पर दिया गया है।

5 (क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत डीब की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) दिनांक 31.3.2017 को पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और सम्बन्धित बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹0.34 लाख का अन्तर

पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और सम्बन्धित बैंक खातों के दिनांक 31.3.2017 को दर्शाये गये अन्तिम शेष की अंकेक्षण के दौरान जाँच करने पर पाया गया कि दोनों के बीच ₹33579 का अन्तर था। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः इस अन्तर बारे आवश्यक कार्यवाही की जाये और कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 518/2017 दिनांक 18.8.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 18 दिनांक 18.8.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत डीब द्वारा सूचित किया गया कि यह अन्तर बैंक समाधान विवरण तैयार न करने के कारण है। इस बारे में आवश्यक छानबीन के उपरान्त कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा।

अन्तर का विवरण

Balance as per Cash Book (General Cash Book)	1952711
Cash in hand as on 31.03.2017	3430
Bank Account No. 8013 (Balance as per Bank Certificate)	663855
Bank Account No. 37 (Balance as per Bank Certificate)	1319005
Total	**1986290**
Difference between Cash Book and Bank Accounts	33579

6 पंचायत राजस्व की ₹1.07 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–2** में दिये गये विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक राजस्व ₹107500 वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7 रोकड़ बही में लेखाकिंत प्राप्त आय ₹12.02 लाख के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी। उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म–3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया

जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न दिये गये विवरण अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान ₹1202520 की प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt	**Cash Book Page No.**	**Amount**	**From Where Amount Received**
1.6.2014	54	1143	D.P.O. Shimla
8.6.2014	54	100000	D.P.O. Shimla
16.3.2016	69	30000	B.D.O. Narkanda
21.3.2016	69	420962	D.P.O. Shimla
28.3.2016	69	94080	B.DO. Narkanda
28.3.2016	69	7500	B.D.O. Narkanda
13.4.2016	01	191000	B.D.O. Narkanda
26.4.2016	01	357835	D.P.O. Shimla
Total		1202520	

8 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–3"** में दिये गये विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है नियमानुसार केवल Imprest की राशि ही हस्तगत रखी जा सकती है तथा प्रत्येक प्राप्ति भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, मस्ट्रोलों इत्यादि भुगतान हेतु ₹1.77 लाख का भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹177438 के व्यय वाउचरों/मस्ट्रोलों का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान को

किया गया दर्शाया गया था। जाँच में यह भी पाया गया कि व्यय वाउचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था। जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान के नाम जारी किए गए थे, ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–4** पर दिया गया है। बैंक चैक को सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान के नाम करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत उप प्रधान और पंचायत सदस्यों व पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्कर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या 519/2017 दिनांक 18.8.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 019 दिनांक 18.08.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत डीब द्वारा सूचित किया गया कि ज्यादात्तर भुगतान मजदूरो को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगें।

10 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹1.03 लाख के स्त्रोत, उद्देश्य इत्यादि के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म–3 में उस प्राप्ति के बदले मे रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ₹103507 अज्ञात प्राप्ति लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई थी। पड़ताल करने पर पाया गया कि इस प्राप्ति के बदले कोई रसीद इत्यादि भी जारी नहीं की गई थी। अतः इस सन्दर्भ में विभागीय तौर पर इस राशि की प्राप्ति और उद्देश्य की छानबीन की जाए। साथ ही प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाये कि उक्त राशि किन उद्देश्यों हेतु व्यय की गई है।

Date of Receipt of Grant	Amount of Receipt	Cash Book Page No.	Account No. in which Grant Credited
21.4.2014	30195	53	37
7.5.2015	59000	62	37
14.7.2016	14312	06	801
Total	103507		

11 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म–11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

12 अनुदान की ₹21.57 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्त्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक कुल ₹2157361 उपयोग हेतु शेष थे। जिसका विवरण **परिशिष्ट–5** पर दिया गया है। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण संस्था को किया जाए।

13 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹1.67 लाख का अनियमित व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से

सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–6"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹167790 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त किये गये कार्यों को माप पुस्तिका में भी दर्ज नहीं किया गया है। अतः निर्माण कार्यो पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

14 निर्माण कार्य हेतु क्रय गए ₹0.11 लाख के सामान की खपत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से सम्बन्धित व्यय वाउचर व माप पुस्तिका की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट"7"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु वर्ष 6/2015 में क्रय किए ₹10888 सामान को न तो निर्माण कार्य हेतु खपत की गई न ही सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष दर्शाया गया जिससे उक्त समाान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः निर्माण कार्य हेतु क्रय किए ₹10888 के सामान को निर्माण कार्य हेतु खपत न करने व सामान को स्टॉक रजिस्टर में शेष न दर्शाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹10888 की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.94 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट–8"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹194366 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Deeb

16 ₹3.48 लाख के क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डार रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (a, b,c, एवं d) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई ₹347566 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट–9"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, खरीदे गए सामान की प्रविष्टि स्टॉक में दर्ज न होने के फलस्वरूप **परिशिष्ट "9"** में दर्शाए गये विवरण अनुसार खपत की जाँच नहीं की जा सकी तथा यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वास्तव मे उक्त सामान की खरीद की गई है अथवा नहीं। अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.97 लाख का भुगतान करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 (1), (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पचांयत सचिव द्वारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान ₹197424 के भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि भुगतान जिनका विवरण **"परिशिष्ट–10"** में दिया गया हैं, को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 मानदेय के रूप में ₹1600 का अधिक भुगतानः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पचांयत की सभा मे उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं

किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹1600 का अधिक भुगतान किया गया था। विवरण निम्न प्रकार से है। अतः बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राशि की वसूली सम्बन्धित सदस्यों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Excess payment of Honorarium to Panchayat Mambers

Name of Member	**Date of Meeting for which payment was made**	**Amount Paid**	**Remarks**
Sh. Madan lal	19.12.2016	200	Member was absent as per Mintues Register
Smt. Rohinee	22.6.2016	200	Member was absent as per Mintues Register
Smt. Snah lata	23.8.2016	200	Member was absent as per Mintues Register
Smt. Neelam	19.9.2016	200	Member was absent as per Mintues Register
Sh. Dev raj	19.9.2016	200	Member was absent as per Mintues Register
Smt. Rohinee	19.9.2016	200	Member was absent as per Mintues Register
Smt. Sita	19.9.2016	200	Member was absent as per Mintues Register
Sh. Sudhir	19.9.2016	200	Member was absent as per Mintues Register
Total		**₹1600**	

19 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानो के खाते (Ledgers)	7	29 (1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29 (4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72 (1) (a & b)
11	निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

20 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 विविध अनियमितताएंः–

(i) मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान मनरेगा से प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखाकिंत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन–देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। परन्तु यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी मूल अभिलेख बिल वाउचर इत्यादि ग्राम पंचायत स्तर पर ही रखे जाते है केवल खण्ड स्तर पर FTO ही जारी किये जाते है इसलिए रोकड़ बही को लिखा जाना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा रोकड़ बही को लिखा जाये तथा साथ ही इस सम्बन्ध

G.P. Deeb

में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

(ii) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 29 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म–7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29 (1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म–8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म–8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29 (4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ मे अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iv) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत डीब द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणो को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(v) ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत डीब द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित

नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदो से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखाकिंत किया गया था अथवा नहीं? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

23 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(i) 66/2017–खण्ड–1–6618–6621 दिनाँक,6.11.17
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत डीब, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881